कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक 5264 / 14–4–4 बाराबंकी, दिनांक 29/06/2019

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सरयू वृत्त, उ0 प्र0
अयोध्या।

विषयः– इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित ग्राम– प्यारेपुर सरैया, तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी के गाटा संख्या–207मि0 व 208मि0 में लखनऊ–फैजाबाद मार्ग एन0एच0–28 (नया एन0एच0–27) के किमी0 42–43 के मध्य दायी पटरी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण में प्रभावित 0.150691 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक– 2447 / 11सी–FP/UP/Others/39656/2019 लखनऊ दिनांक 25 जून 2019 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक– 4845 / 14–10 (बाराबंकी) दिनांक 26 जून 2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त रिटेल आउटलेट के स्थापना हेतु प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रमांक	आपत्ति का विवरण	निराकरण
1	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की सूची / सारांश ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित नहीं है।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची / सारांश ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित अंकित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों के वृक्षारोपण का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जो कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करते हुए बाधक वृक्षों के दस गुने अर्थात 340 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा प्राक्कलन की धनराशि हार्ड कापी भाग–2 व ऑनलाइन भाग–2 में भी संशोधित करें।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों के वृक्षारोपण का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जो कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नहीं है, को प्रस्ताव से अलग कर दिया गया है। प्रस्ताव में बाधक 34 वृक्षों के सापेक्ष 340 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन बनाकर संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया तथा प्राक्कलन की धनराशि हार्ड कापी भाग–2 व ऑनलाइन भाग–2 में भी संशोधित कर दिया गया है।
3	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक 13(iv) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की Sol Toposheet अपूर्ण /आधी अधूरी अपलोड की गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 13(iv) में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित 1:50000 माप की पूर्ण (Full) एस0ओ0आई0 टोपोशीट अपलोड करें।	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक 13(iv) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की पूर्ण सत्यापित 1:50000 Sol Toposheet ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 13(iv) में अपलोड कर दी गयी है।
4	ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के के0एम0एल0 फाइल में चयनित स्थल का क्षेत्रफल 0.30 हे0 है जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक 13(i) में चयनित स्थल का क्षेत्रफल 0.05 हे0 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः 340 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु स्थल का सही क्षेत्रफल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक 13(i) में अंकित करते हुए इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा स्थान पर ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रश्नगत प्रकरण में 340 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु स्थल का सही क्षेत्रफल 0.30 हे0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक 13(i) में अंकित करते हुए इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख यथा स्थान पर ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड कर दिये गये हैं।

5	भारत सरकार के पत्रांक– एफ0नं0–11–168 /2014–एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्ताव की एक प्रति में संलग्न प्रमाण पत्र में प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	भारत सरकार के पत्रांक– एफ0नं0–11–168/ 2014–एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर करा दिया गया है।
6	प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑन लाइन पार्ट–1 संलग्न किया गया है। अतः पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑन लाइन पार्ट–1 प्रस्ताव से हटाकर सही ऑनालाइन पार्ट–1 संलग्न करें।	प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑन लाइन पार्ट–1 प्रस्ताव से पृथक कर सही ऑनालाइन पार्ट–1 संलग्न कर दिया गया है।
7	हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–7(iv) में वृक्षो की संख्या रिक्त दर्शायी गयी है, जबकि परियोजना में बाधक 34 वृक्षो का पातन निहित है। अतः इस विषमता को दूर करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न कर तदानुसार ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड करें।	हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–7(iv) में वृक्षो की संख्या 34 अंकित करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग–2 संलग्न कर ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
8	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–14 में जिले की प्रोफाइल में विवरण त्रुटिपूर्ण एवं भिन्न– भिन्न फीड किया गया है। अतः हार्ड कापी भाग–2 के अनुसार एक समान सही विवरण फीड करें।	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–14 में जिले की प्रोफाइल का विवरण सही फीड कर दिया गया है।

अतः आप द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संशोधित प्रस्ताव मूल अभिलेखों /प्रमाणित प्रति की तीन प्रति सहित संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(एन0 के0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या 5264/ **उक्तदिनांकित।**

1– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार/प्रदेश सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हो।

2– प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रबन्धक, (रिटेल सेल्स), लखनऊ मण्डलीय कार्यालय इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 कूपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0 के0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

त्रिभुवन/–